एम.ए.सी.पी. संख्या २२६/२०१७,
राजेश रायकवार पुत्र स्व. दुर्गा प्रसाद उम्र करीब ३० साल निवासी १२३ गली नं.२ नन्दनपुरा सीपरी बाजार, झाँसी

-------याची

प्रति

१. देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बालकृष्ण शर्मा निवासी म.नं. ७४ ग्राम सनौरा थाना बरूआसागर जिला झाँसी

.......पंजीकृत स्वामी मिनी ट्रक आयशर नं. यू.पी. ९३एटी ३५२९

२. रफीक खॉन पुत्र श्री कुन्नु खॉ उर्फ पुन्ना खॉन निवासी १३६ सिया कम्पाउण्ड नई बस्ती थाना कोतवाली जिला झाँसी

.... चालक मिनी ट्रक आयशर नं. यू.पी. ९३ए टी ३५२९

३. श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बजरिए शाखा प्रबन्धक ई-८ इपिप रालको इण्डिस्ट्रियल एरिया सीतापुरा जिला जयपुर, राजस्थान पॉलिसी नं. १०००३/३१/१७/ ५३६५३१ वैधता तिथि २३.०१.२०१७ से २२.०१.२०१८ तक

........बीमा कम्पनी मिनी ट्रक आयशर नं. यू.पी. ९३ए टी ३५२९

------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री राशिद खाँ, श्री जी. एस. तोमर
विपक्षी सं. १ के अधिवक्ता- श्री इन्द्र पाल सिंह
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता-श्री दीपक श्रीवास्तव

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याची व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये।

याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ५२बी पर याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ५२बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में आज न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। ५२बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ५,२५,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ५२बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा ५२बी में दर्शित कुल ₹ ५,२५,००० प्रतिकर के रूप में नकद लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ५२बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ५२बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ५२बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ५,२५,००० (पांच लाख पच्चीस हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.एस.सी. सं. SYNB ०००९२३५ में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम अंतरित से कर दे। धनराशि अंतरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याची राजेश रायकवार आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 14:35:51 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi